

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी-रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र-20/2019

प्रार्थी-

1. रामनिवास दत्तक पुत्र पेमाराम, जाति-जाट
निवासी- अजबपुरा, तहसील-जायल, जिला-नागौर।
बनाम

अप्रार्थी-

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित-

1. अभिभाषक श्री बस्तीराम ढाका
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)


प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956

निर्णय

दिनांक :- 11/01/22

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रामनिवास के जाईन्दा पिता चुनाराम है जबकि प्रार्थी रामनिवास पेमाराम जी के गोद चला गया है तथा पेमाराम जी की भूमि में जो रामनिवास दत्तक पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी अजबपुरा तहसील जायल दर्ज हो गया। परन्तु मौजा अजबपुरा के खाता संख्या 22 के खसरा नंबर 202/13 रकबा 32.03 बीघा में रामनिवास पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी अजबपुरा दर्ज कर दिया। प्रार्थी रामनिवास के जो भी सरकारी दस्तावेज है उनके रामनिवास दत्तक पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी अजबपुरा तहसील जायल दर्ज है। इसलिये प्रार्थी रामनिवास मौजा अजबपुरा का खाता संख्या 22 के खसरा नंबर 202/13 रकबा 32.03 बीघा में रामनिवास दत्तक पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी अजबपुरा तहसील जायल नागौर बाबत सशोधन करवाना चाता है जिससे सरकारी काम काज में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं में परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक दिनांक 22.10.2021 को मय हल्का पटवारी रोटू एवं आईएलआर दुगोली की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि मौजा अजबपुरा के खेत खसरा नंबर 202/13 रकबा 32.03 बीघा की खातेदारी रामनिवास पुत्र चुनाराम के नाम दर्ज है तथा रामनिवास अपने राजस्व रेकर्ड में रामनिवास पुत्र चुनाराम के स्थान पर रामनिवास दत्तक पुत्र पेमाराम करवाना चाहता है। अतः उक्त प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में कवर नहीं होता है अतः प्रार्थी प्रकरण में सक्षम न्यायालय में


11/01/22

घोषणात्मक वाद से ही रिलिफ अनुतोष प्राप्त कर सकता है अतः उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या आरजे/02/192/0150152, ड्राईविंग लाईसेंस संख्या आरजे 21 20100070369, राशनकार्ड 008268000162, तथा नकल खतौनी सम्वत् 2070-2073 खाता संख्या 22 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में रोटू के खतौनी सं. 22 में अंकित खसरा नं. 202/13 में प्रार्थी का नाम रामनिवास पुत्र चुनाराम के स्थान पर रामनिवास दत्तक पुत्र पेमाराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, क्यों कि धारा 136 के तहत रेकार्ड में प्रतिदिन के कार्यकलाप में राजस्व रेकार्ड में हुई गलतियों को सही किया जा सकता है। साथ ही भू-प्रबन्ध के दौरान किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति की खातेदारी या गैर खातेदारी कृषि भूमि को सिवायचक या चरागाह दर्ज कर दिया गया है अथवा किसी राजकीय भूमि, सिवायचक या चरागाह को किसी व्यक्ति के खातेदारी दर्ज कर दिया गया है तो ऐसी गलतियों को धारा 136 के तहत भू-अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा समरी ट्रायल से शुद्ध किया जा सकता है। तथा किसी का जाति नाम या स्वयं का नाम भी सम्मान जनक किया जा सकता है। जैसे -रामला का रामलाल, चमार का मेघवाल इत्यादि। तथा विशेष- धारा 136 के तहत किसी को कोई नये खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते बल्कि रेकार्ड के आधार पर जो पूर्व में निहित थे और जो सही एवं वास्तविक स्थिति थी उसके अनुरूप ही गलतियों की शुद्धि की जा सकती है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होने के कारण धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद से ही अनुतोष प्राप्त करें। पत्रावली फैसल होकर अपने नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

- :: आदेश :: -

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होने के कारण धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 11/01/22 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल